श्री मोहन स्वरूप :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति तथा अन्य निर्धन वर्गों के अधिकतर उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में इंटरव्यू के समय असफल हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन्टरव्यू के लिये अंकों की सीमा कम करके इस असन्तुलन को दूर करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । इन तीनों सेवाओं के लिये चयन के तरीके को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विवरण

इन तीनों सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया इस प्रकार है कि ऐसे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में अर्हता के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वविवेक के आधार पर निर्धारित कम से कम अंक प्राप्त कर लेते हैं, व्यक्तित्व-परीक्षण के लिए साक्षात्कार पर बुलाये जाते हैं। व्यक्तित्व-परीक्षण के बाद उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से मिले हुए कुल प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार रखा जाता है और केवल उतने ही उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग नियुक्ति के योग्य समझता है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये ऐसी प्रथा है कि चाहे वे किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के आधार पर अर्हता प्राप्त न कर सकें फिर भी प्रशासन में दक्षता के स्तर को बनाये रखने का ध्यान रखते हुए उन्हें नियुक्ति के योग्य घोषित कर दिया जाता है । व्यक्तित्व परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सामान्यतः उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से बहुत अधिक होती है और इस लिए परीक्षा की प्रकृति के अनुसार ही केवल उतने ही उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से सफल घोषित किया जा सकता है जितना कि सामान्य तथा आरक्षित कोटाओं में रिक्तियां उपलब्ध हों । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये अर्हता के न्यूनतम अंकों की कोई सीमा नहीं है । इस स्पष्टीकरण को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं होगा कि अनुसूचित जातियों के अधिकतर उम्मीदवारों व्यक्तित्व परीक्षण के समय असफल होते हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से इतर उम्मीदवारों में अन्य निर्धन वर्गों को छांटना सम्भव नहीं है ।

अन्दमान द्वीप समूह में लोगों का बसाया जाना

2367. श्री छ० म० केदरिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नरदेव स्नातक :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री 23 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन संख्या की निरन्तर वृद्धि तथा बर्मा और अन्य देशों से भारतीय मूल के व्यक्तियों के लगातार स्वदेश लौटने को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार महाद्वीप (मेनलैण्ड) से कुछ इच्छुक व्यक्तियों को अन्दमान द्वीपसमूह में बसाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ला० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) अन्तर्विभागीय दल द्वारा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये त्वरित विकास कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान 75,000 की जनसंख्या को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दुगनी करना दृष्टि में रखा गया है और पंचम योजना की अवधि में और एक लाख की वृद्धि दृष्टि में रखी गई है। अतिरिक्त जनसंख्या को उपकारी रोजगार में लगाने के लिये विकास कार्यक्रम की सिफारिश की गई है। आशा है कि द्वीप समूह में बसाने के लिये अतिरिक्त जनसंख्या के मुख्य स्रोत, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित, बर्मा तथा लंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीय तथा महाद्वीप (मेनलैण्ड) के लोग जो कार्यक्रम की विशिष्ट व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हों, होंगे।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित गोष्ठियां

2668. श्री नरदेव स्नातक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री ठ० म० हेरिया :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में अब तक उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत काम करने वाले विभिन्न कार्यालयों तथा आयोगों ने कितनी गोष्ठियों का आयोजन किया ;

(ख) इन गोष्ठियों का आयोजन किन स्थानों पर किया गया और इन पर कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) बचत की दृष्टि से इनका आयोजन दिल्ली में न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भविष्य में इस तरह की सब गोष्ठियों का आयोजन दिल्ली में ही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) एक अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1966 तक के समय में उन्नीस।

(ख) और (ग). जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7453/66]

(घ) जी नहीं। कुछ प्रादेशिक सेमिनार प्रदेश केन्द्रों में आयोजित करने होते हैं। फिर भी सेमिनार का स्थान तय करते समय बचत की जरूरत का ध्यान रखा जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय में स्टाफ कारें

2669. श्री काशीराम गुप्त :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में कितनी स्टाफ कारें हैं ;

(ख) उनके माडल और मूल्य, पृथक-पृथक क्या हैं ; और

(ग) उनके रख-रखाव पर अनुमानतः कितना वार्षिक व्यय होता है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्) : (क) पांच।